

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 169/2009

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कालूसिंह पुत्र वीरमसिंह		1. प्रेमसिंह पुत्र प्रताप जी
2. सम्पतसिंह पुत्र वीरमसिंह		2. बालूसिंह पुत्र प्रताप जी
कौम-पुरोहित		कौम-पुरोहित, निवासी-कल्याणपुर
निवासी-कल्याणपुर		तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर
तहसील कल्याणपुर व जिला		3. तहसीलदार कल्याणपुर
बाड़मेर		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. श्री खुशहालराम पटेल, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित
2. प्रतिवादीगण-एकतरफा

निर्णय

दिनांक- 29.02.22

1. संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणपुर तहसील पंचपरवर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा नम्बर 179 रकबा 44-14 बीघा भूमि में 12 बीघा भूमि जरिये बेचाननामा दिनांक 30.12.1997 का वादीगण द्वारा क्रय की ओर उक्त बेचाननामा में पड़ोस निम्न दर्शाये गये थे, कि उत्तर में खसरा नम्बर 179 का शेष रकबा, दक्षिण में खसरा नम्बर 179 का शेष रकबा, पूर्व में माधोसिंह की खातेदारी भूमि एवं पश्चिम में बादरसिंह, धनसिंह पिसरान खीमसिंह की खातेदारी भूमि, उक्त बेचान के अनुसार ही वादीगण का वक्त खरीद से आदिनांक तक काश्त करता आ रहा है कि उक्त बेचाननामा के आधार पर नामान्तरण भरकर वादीगण का खसरा नम्बर 389/179 रकबा 12 बीघा कायम हुआ। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी को नक्शे में तरसीम बेचाननामा के अनुसार करने के बजाय उसमें विपरीत खसरा संख्या 181 व वादीगण



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा



- की खसरा नम्बर 379/179 के बीच में कुछ जमीन को छोड़कर गलत तरमीम कर दी गई, जो वादीगण वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शे A से D अनुसार शेष भूमि को अपनी खातेदारी घोषित करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद पेश किया गया है।
2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री थानसिंह राजपुरोहित द्वारा वकालतनामा पेश किया था। लेकिन पर्याप्तम सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया गया तथा न ही पैरोकारी करने के लिए उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादी भी उपस्थित नहीं हुए। इस कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई।
 3. प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं रही। वादी साक्ष्य में PW-01 कालूसिंह, PW-02 नारायण सिंह, PW-03 जगदीशसिंह के बयानात स्वरूप शपथ-पत्र पेश किए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-01 वादग्रस्त भूमि ग्राम वांकियावास कल्ला की खसरा नम्बर 389/179 जमाबंदी संवत् 2063/2066, प्रदर्श-02 इसी ग्राम का नक्शा ट्रेस प्रति, प्रदर्श-03 वादग्रस्त भूमि की बेचान पत्र प्रति व प्रदर्श-04 वादी की ओर से परिशिष्ट अ, नजरी नक्शा प्रदर्शित करवाई गये।
 4. वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद में तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि वादीगण की ओर से तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 179 रकबा 44-14 बीघा भूमि में से 12 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र के दिनांक 30.12.1997 को क्रय की थी, उक्त बेचानपत्र में सेढा पड़ोसी इस प्रकार दर्शाये कि उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 179 का शेष रकबा, दक्षिण में खसरा नम्बर 179 का शेष रकबा, पूर्व में माधोसिंह की खातेदारी भूमि एवं पश्चिम में बादरसिंह, धनसिंह पिसरान खीमसिंह की खातेदारी भूमि। उक्त बेचानपत्र के अनुसार वक्त खरीद से आदिनांक तक मौके पर कब्जा-काश्त चला आ रहा है। उक्त बेचान पत्र के अनुसार तत्कालीन 'हल्का पटवारी ने राजरव रेकर्ड (जमाबंदी) में नया खसरा नम्बर 389/179 रकबा 12 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी



में कायम हुए तथा तत्कालीन हल्का पटवारी को बेचानपत्र के अनुसार ही नक्शा लट्टा में तरमीम की जानी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत तत्कालीन हल्का पटवारी ने खसरा संख्या 181 व वादीगण के खसरा नम्बर 379/179 के बीच में कुछ जमीन को छोड़कर तरमीम कर दी गई, जबकि तत्कालीन हल्का पटवारी को बेचानपत्र के अनुसार वादीगण के खेत की तरमीम खसरा नम्बर 181 के सेढा-सेढ तरमीम की जानी चाहिए थी। लेकिन हल्का पटवारी की गलत के कारण आदिनांक तक नक्शे में गलत तरमीम इन्द्राज आ रही है। जबकि वादीगण का वक्त खरीद से आदिनांक तक बेचानपत्र के अनुसार मौके पर कब्जा काशत चला आ रहा है, वादीगण की मौके पर रहवासी ढाणीया, पानी के टांके, पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बने हुए हैं। जबकि बेचाननामा पूर्व व पश्चिम में दोनों पड़ोसियों के खेत की माठ तक भूमि का बेचान वादीगण को किया हुआ था। लेकिन नक्शे में गलत तरमीम होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 व 02 इसका गलत फायदा उठाकर वादीगण को आये दिन परेशान करते रहते हैं और आये दिन धमकियां देते हैं कि वादीगण की कब्जा काशत भूमि में अवैध कब्जा कर लिया जावेगा, जबकि प्रतिवादी का वादीगण की खरीदशुदा भूमि में कोई हक हकूक नहीं है। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी की गलत तरमीम के कारण वादीगण परेशान हो रहे हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि वादी पक्ष की ओर गवाहान बयानात से भी स्पष्ट है कि नजरी नक्शा A से D में दर्शित भूमि वादीगण की है और वादीगण अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के हकदार है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 179 का परिशिष्ट अ से द में दर्शाया गया भाग खसरा नम्बर 389/179 का भाग घोषित किया जाकर, वादीगण की खातेदारी घोषित की जावे तथा नजरी नक्शा में दर्शित A से D भाग में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे, इस आशंय की रथाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरुद्ध जारी की जावे।

5. हमने वकील वादीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात व बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बांकियावास कल्ला तहसील



पंचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा नम्बर 389/179 रकबा 12-00 बीघा भूमि वादीगण की सहखातेदारी में इन्द्राज है, जो वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2063-2066 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण द्वारा विवादित भूमि के मूल खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से मूल खसरा नम्बर 179 रकबा 44-14 बीघा भूमि में से 12-00 बीघा भूमि जरिये बेचान पत्र के दिनांक 30.12.1997 को क्रय की थी, और क्रय के आधार जरिये नामान्तरण राजस्व रेकॉर्ड (जमाबंदी) में अमल दरामद होकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज हुई। उक्त बेचानपत्र में पडोस निम्न प्रकार दर्शाये कि उत्तर में खसरा नम्बर 179 का शेष रकबा, दक्षिण में खसरा नम्बर 179 का शेष रकबा, पूर्व में माधोसिंह की खातेदारी भूमि एवं पश्चिम में बादरसिंह, धनसिंह पिसरान, खीमसिंह की खातेदारी भूमि है, जो प्रदर्श-03 बेचानपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है, उक्त बेचान पत्र में दर्शित सेढा पडोसी के अनुसार ही तत्कालीन हल्का पटवारी को नक्शे में तरमीम की जानी चाहिए थी, लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने इसके विपरीत वादीगण की खातेदारी भूमि व खसरा नम्बर 181 की माठ के बीच कुछ भूमि को छोड़ते हुए तरमीम कर दी। जो प्रदर्श-02 नक्शा प्रति अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की तरमीम बेचानपत्र के अनुसार नहीं हो रखी है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि की तरमीम खसरा संख्या 181 की माठ के पास तरमीम की जानी चाहिए थी। जबकि तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 181 की माठ को छोड़ते हुए तरमीम कर दी गई, जो कि गलत तरमीम की गई है, उक्त शेष भूमि को वादीगण अपनी खातेदारी भूमि में घोषित करवाने का हकदार है, जिसकी पुष्टि साक्ष्य गवाहान PW-02 व PW-03 गवाहान के बयानात से होता है कि वादीगण की ओर से

12 बीघा भूमि जरिये बेचानपत्र खरीद किया, जो खेत हमारे खेत के पश्चिम दिशा में आया हुआ है मेरे खेत से लगता हुआ वादीगण का ही खेत है, मेरे खेत के व वादीगण के खेत में बीच कोई मौके पर कोई रास्ता चलता नहीं है। हमारे सेढा सेढा वादीगण का ही कब्जा काशत है। नक्शे में मेरे व वादीगण के खेत में जो जमीन छोड़ी गई है वह गलत तरमीम हो रखी है। उक्त बयानात से ही पुष्टि होती है कि परिशिष्ट अ प्रदर्श-04 में दर्शित A से D भूमि खसरा नम्बर 389/179 का ही भाग है। जबकि



प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के सम्मन तामीली सम्यक रूप से हो गई थी और प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा भी पेश कर दिया था,लेकिन पर्याप्तम सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया,न ही प्रतिवादी उपस्थित हुए,इस कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही पारित की गई। इससे स्पष्ट है कि वादीगण के बाद को प्रतिवादी को भली-भांति ज्ञान था,बावजूद अपनी ओर से पैरोकारी नहीं की गई। उपरोक्त विवेचन के उपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल रहा है।

6. लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रदर्श-04 परिशिष्ट अ से द में दर्शित भूमि खेत खसरा नम्बर 389/179 का भाग घोषित करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है,तदनुसार रिकॉर्ड में दुरुस्ती कर अमल-दरामद किया जावें। तहसील कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि नियमानुसार रिकॉर्ड में अमल-दरामद करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। प्रदर्श-04 परिशिष्ट अ, निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रदर्श-04 परिशिष्ट अ, में दर्शित अ से द भाग में वादीगण के कब्जा-काश्त में दखलदान्जी नहीं करेंगे।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 29/8/2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

अनुवाच

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कालूसिंह पुत्र वीरमसिंह		1. प्रेमसिंह पुत्र प्रताप जी
2. सम्पतसिंह पुत्र वीरमसिंह		2. बालूसिंह पुत्र प्रताप जी
कौम-पुरोहित निवासी- कल्याणपुर		कौम-पुरोहित, निवासी- कल्याणपुर
तहसील कल्याणपुर व जिला बाड़मेर		तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर
		3. तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद बाबत:- 88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 169/2009

निर्णय दिनांक :- 29.8.2022

वादीगण की ओर से श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 29.8.2022 को श्री नरेश सोनी (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होना पर निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर प्रदर्श-04 परिशिष्ट अ से द में दर्शित भूमि खेत खसरा नम्बर 389/179 का नाम घोषित करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है, तदनुसार रेकॉर्ड में दुरुस्ती कर अमल-दरामद किया जावे। तहसील कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है, कि नियमानुसार रेकॉर्ड में अमल-दरामद करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। प्रदर्श-04 परिशिष्ट अ, निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को जरिये रथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रदर्श-04 परिशिष्ट अ में दर्शित अ से द भाग में वादीगण के कब्जा-काश्त में देखलदान्जी नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 29.8.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा